कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I, म.प्र.

भोपाल शाखा, 53, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल – 462011

दूरभाष 0755-2554821 & 2764037 फैक्स: 0755-2557452 ई-मेल: srdagaebhopal@cag.gov.in

सत्यमेव जयते

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

क्रमांक/नि.वि.1/स-6/डी- 1571 दिनांक 01 -11-2023

प्रति,

समस्त वरिष्ठ संभागीय लेखा अधिकारी
संभागीय लेखा अधिकारी-1
संभागीय लेखा अधिकारी-2
संभागीय लेखापाल एवं
परिवीक्षाधीन संभागीय लेखापाल

विषय:- केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1972 के अनुसार अवकाश आवेदन प्रस्तुत करने बाबत |

प्रायः यह देखने में आ रहा है कि संभागीय लेखापाल संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा इस कार्यालय को स्वीकृति हेतु अवकाश आवेदन भेजते समय केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1972 में दर्शाए गए नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, प्राप्त आवेदनों में कमी रहने के कारण कमी को दूर किये जाने हेतु पत्राचार किये जाने के कारण अवकाश स्वीकृति की प्रक्रिया में विलम्ब होता है | अतः सभी को निर्देशित किया जाता है कि अर्जित अवकाश,लघुकृत अवकाश या अन्य अवकाश भेजते समय निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देवें :-

(1) केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1972 के नियम 14 के अनुसार अवकाश आवेदन प्रपत्र-1 (Form-1) में ही भरकर भेजें | प्रपत्र-1 में दर्शाए सभी बिंदुओं की प्रविष्टि करें |

(2) आवेदन के साथ अर्जित अवकाश/ अर्ध वेतन अवकाश खाते में शेष अवकाश की जानकारी प्रेषित करें | पितृत्व अवकाश/शिशु देखभाल अवकाश या अन्य अवकाश के संबंध में अवकाश की पात्रता संबंधी जानकारी प्रेषित करें |

(3) स्वयं की बीमारी के कारण अर्जित अवकाश/ अर्ध वेतन अवकाश या लघुकृत अवकाश का आवेदन प्रस्तुत करते समय केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1972 के नियम 19 के अनुसार राजपत्रित अधिकारी प्रपत्र -3 (Form-3) में तथा अराजपत्रित अधिकारी प्रपत्र-4 (Form-4) में मेडिकल सिकनेस सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेंगे एवं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्रपत्र-5 (Form-5) में प्रस्तुत करेंगे | मेडिकल सर्टिफिकेट में दर्शायी गयी तिथि अनुसार ही अवकाश आवेदन (प्रपत्र-1) में अवकाश की अवधि प्रविष्टि कर आवेदन प्रेषित करें |

(4) अवकाश आवेदन कार्यपालन यंत्री की अनुशंसा सहित कार्यपालन यंत्री के मार्फ़त ही ई मेल के माध्यम से प्रेषित करें |

(5) अवकाश पर मुख्यालय छोड़ने के पूर्व अवकाश आवेदन स्वीकृति हेतु प्रेषित करें |

(6) अवकाश बाबत अन्य किसी जानकारी हेतु केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1972 का संज्ञान लेवें |

(प्राधिकार:- उप महालेखाकार (निर्माण लेखा) के आदेश दिनांक 01-11-2023)

Bhagoliwal

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/निर्माण विविध-1